A… 10
Crim…

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालज : **उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा** मुकाम : **बांसवाड़ा (राज.)**

वादी प्रतिवादी

श्रीमति मोती **बनाम** श्रीमति मंगली

किस्म मुकदमा–(वाद पत्र) .... प्रकरण संख्या– ..../ 20..........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वादी श्री श्रीमति मोती पिता धुलिया जाति भील निवासी बिलिया डूंगरी तहसील बांसवाड़ा द्वारा वाद–पत्र अन्तर्गत धारा .... विरूद्ध प्रतिवादीगण श्री मति मंगली पिता नीमिया ...जाति भील निवासी बिलिया डूंगरी ... के पेश किया गया। प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी कर पत्रावली दिनांक 20-8-2018 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा	
20-8-18	पत्रावली पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27-8-2018 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
27-8-18	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान P.O. साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से पत्रावली ...9-8-18 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु को पेश हो।	
29-8-18	पत्रावली पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। श्रीमान P.O. साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 10-9-2019 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:33:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

(1) प्रकरण संख्या 127 / 2009 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. श्रीमती मोती पत्नी श्री धुलिया भील (मृतक) नाम तर्क किया गया
2. कालू पिता धुलिया भील, निवासी बिलीया डूंगरी, मजरा दशहरा गामड़ी
3. स्वर्गीय गौतम पिता धुलिया भील के विधिक वारिसान :–

3/1. श्रीमती जमना बेवा गौतम भील, नि. बिलीया डूंगरी, मजरा दशहरा गामड़ी

3/2. सुरेश पिता गौतम भील, निवासी बिलीया डूंगरी, मजरा दशहरा गामड़ी

3/3. बालेश्वर पिता गौतम भील, नि0 बिलीया डूंगरी, मजरा दशहरा गामड़ी

4. बापुलाल पिता धुलिया भील, निवासी बिलीया डूंगरी, मजरा दशहरा गामड़ी
5. केवलराम पिता श्री धुलिया भील, निवासी बिलीया डूंगरी, मजरा दशहरा गामड़ी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती मंगली पत्नी श्री बिजीया भील (मृतक) नाम तर्क किया गया
2. जीवणा पिता श्री बिजीया भील, नि0 बिलीया डूंगरी, मजरा दशहरा गामड़ी
3. रकमा पिता बिजीया भील भील, निवासी बिलीया डूंगरी, मजरा दशहरा गामड़ी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

(2) प्रकरण संख्या 147 / 2009 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. श्रीमती मंगली पत्नी श्री बिजीया भील (मृतक) नाम तर्क किया गया
2. जीवणा पिता श्री बिजीया भील, नि0 बिलीया डूंगरी, मजरा दशहरा गामड़ी
3. रकमा पिता बिजीया भील भील, निवासी बिलीया डूंगरी, मजरा दशहरा गामड़ी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती मोती पत्नी श्री धुलिया भील (मृतक) नाम तर्क किया गया
2. कालू पिता धुलिया भील, निवासी बिलीया डूंगरी, मजरा दशहरा गामड़ी
3. स्वर्गीय गौतम पिता धुलिया भील के विधिक वारिसान :–

3/1. श्रीमती जमना बेवा गौतम भील, नि. बिलीया डूंगरी, मजरा दशहरा गामड़ी

3/2. सुरेश पिता गौतम भील, निवासी बिलीया डूंगरी, मजरा दशहरा गामड़ी

3/3. बालेश्वर पिता गौतम भील, नि0 बिलीया डूंगरी, मजरा दशहरा गामड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:33:50 IST
Reason: SelfAttested

फोटो स्टेट प्रमाणित प्रति
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

4. बापुलाल पिता धुलिया भील, निवासी बिलीया डूंगरी, मजरा दशहरा गामड़ी
5. केवलराम पिता श्री धुलिया भील, निवासी बिलीया डूंगरी, मजरा दशहरा गामड़ी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि.–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा
दिनांक 25–08–2009 प्र.सं. 10/08

---/---

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री मुकेश त्रिवेदी वकील अपीलान्ट (प्र.सं. 127/09)
2. श्री भगवतपुरी वकील अपीलान्ट (प्र0 सं0 147/09)

---::---

निर्णय **दिनांक 18–01–2017**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में मोती वगैरह ने मंगली वगैर के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 423/336 ग्राम उमरई में स्थित है तथा वादीगण उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज हैं तथा सजरा भी वाद में वर्णित किया जो मौरूस धुलिया के समय से प्रारम्भ होता है। वादीगण ने कथन किया कि प्रतिवादीगण वादी के उक्त खसरा नंबर की भूमि जो वादीगण के पैत्रृक संवत् 2005 से पूर्व श्री धुलिया के नाम काश्तकारी में चली आ रही थी तथा धूलिया ही उक्त भूमि पर काश्त कर रहा था तथा वर्तमान में वादीगण काश्त कर रहे हैं, लेकिन प्रतिवादीगण के पूर्वज बिजिया ने नामान्तरकरण संख्या 66 से अपना नाम उक्त भूमि में दर्ज करवा लिया, जिसकी सूचना वादीगण को नहीं दी व उसके पीठ पीछे नामान्तरकरण तहसीलदार बांसवाड़ा द्वारा खोल दिया गया, जबकि उक्त भूमि के वादीगण ही काश्तकार हैं। वादीगण व धुलिया को बिना सुने उक्त नामान्तरकरण खोल दिया गया है, जबकि तहसीलदार उक्त नामान्तरकरण खोलने को अधिकृत नहीं थे। उक्त [illegible] खारिज योग्य है व वादीगण एडवर्स पजेशन से भी [illegible] दर्ज करवाने के अधिकारी हैं, परन्तु प्रतिवादीगण का नाम दर्ज होने से बेजा दखलन्दाजी करते हैं। अतएवं वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:33:50 IST
Reason: SelfAttested

फोटो स्टेट प्रमाणित प्रति
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

अधिनस्थ न्यायालय में दौराने कार्यवाही जवाब के अवसर के दौरान दिनांक 28–05–2008 को पक्षकारों के मध्य राजीनामा प्रस्तुत हुआ कि प्रतिवादीगण वादीगण के वाद को स्वीकार करते हैं तथा वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष से सहमत हैं।

अधिनस्थ न्यायालय में उक्त राजीनामा तस्दीक होने के बाद दिनांक 25–08–2008 को वादीगण का वाद डिक्री करते हुए उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया, जिससे रूष्ट होकर वादीगण द्वारा इस न्यायालय में प्रथम अपील संख्या 127/2009 दिनांक 16–10–2008 को प्रस्तुत की गयी। इसी प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील संख्या 147/2009 दिनांक 27–01–2009 को प्रस्तुत की गयी।

उपरोक्त दोनों अपीलें अधिनस्थ न्यायालय के एक ही निर्णय के विरूद्ध वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा क्रमशः संस्थित की गयी हैं। वादीगण द्वारा संस्थित अपील को प्रथम अपील एवं प्रतिवादीगण द्वारा संस्थित अपील को आगे द्वितीय अपील कहा जायेगा। उक्त दोनों अपीलें अधिनस्थ न्यायालय के एक ही निर्णय, समान पक्षकारान व एक ही विषय वस्तु से संबंधित होने से तथा क्रोस अपील होने से दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न रहे।

सर्वप्रथम हम वादीगण द्वारा दायर प्रथम अपील पर विवेचन करना उचित समझते हैं। अपीलान्ट/वादीगण द्वारा पेश शुदा प्रथम अपील के संबंध में रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनकी ओर से वकील श्री भगवतपुरी ने उपस्थिति दी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामे के आधार पर वाद डिक्री किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण को खातेदार तो घोषित कर दिया, किन्तु साथ ही स्टाम्प ड्यूटी पेश करने का आदेश दिया, जो गलत है। अतएवं अपील स्वीकार कर स्टाम्प ड्यूटी पेश करने के निर्णय को दुरस्त किया जावे।

वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के सम्पूर्ण निर्णय को ही त्रुटि पूर्ण बताया, जो कि वस्तुतः उनके द्वारा पृथक से पेश की गयी (द्वितीय अपील) की विषय वस्तु है।

फोटो स्टेट प्रमाणित प्रति
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:33:50 IST
Reason: SelfAttested

→ हमारे द्वारा इस प्रथम अपील के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामे तथा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर विवेचन करते हुए वादीगण का वाद डिक्री किया है, परन्तु उसमें तहसीलदार को स्टाम्प ड्यूटी मय शुल्क जमा करने पर राजस्व रेकार्ड में संशोधन किया जाने का आदेश दिया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो राजीनामे व प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वाद डिक्री किया गया है, फिर भी स्टाम्प ड्यूटी वसूल किये जाने का काश्तकारी अधिनियम में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं होने के बावजूद बिना कारण अंकित किये स्टाम्प ड्यूटी वसूल किये जाने का जो आदेश दिया है वह प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण है। अधिनस्थ न्यायालय को यदि स्टाम्प ड्यूटी वसूल की जानी है तो इस बाबत् अपना विवेचन एवं कारण अंकित करते हुए निर्णय किया जाना चाहिए था, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

तद्नुसार यह प्रथम अपील संख्या 127/2009 स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–08–2008 इस हद तक अपास्त की जाती है कि उन्हें वाद डिक्री करने के साथ जो स्टाम्प ड्यूटी वसूल करने का आदेश दिया है, इस बाबत् अपने निर्णय में कारण अंकित करते हुए कि स्टाम्प ड्यूटी वसूल योग्य है अथवा नहीं, पुनः विधि के आलोक में विचार कर निर्णय पारित करें।

जहां तक द्वितीय अपील संख्या 147/2009 जो प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत की गयी है, का प्रश्न है। उक्त अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा दफा 5 का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलार्थीगण आदिवासी होकर उक्त निर्णय का ज्ञान उन्हें नहीं था तथा निर्णय व डिक्री की नकलें प्राप्त करने पर उन्हें उक्त निर्णय की जानकारी हुई। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ वस्तुतः अपीलान्ट/प्रतिवादीगण का उक्त कथन पूर्णतया भ्रामक एवं तथ्यों के विपरीत है, क्योंकि [illegible] में दिनांक 28–05–2008 को जो राजीनामा हुआ है, उक्त राजीनामे [illegible] से वादीगण को चाहा गया अनुतोष दिये जाने का कथन किया है [illegible] उनके फोटोग्राफ भी लगे हुए हैं तथा उनकी प[illegible] उनके अभिभाषक द्वारा की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त राजीनामें को पढ़कर सुनाया व

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:33:50 IST
Reason: SelfAttested

फोटो स्टेट प्रमाणित प्रति
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

प्रतिवादीगण ने इसे स्वीकार किया, यह भी अंकित किया गया है। अतएवं प्रथम दृष्टया अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 25–08–2008 की अपील दिनांक 27–01–2009 को विलम्ब से पेश की गयी है एवं इस बाबत् जो कारण बताये गये हैं वह उचित नहीं है। तदनुसार प्रथमता तो अपील बेरून मयाद होने से खारिज योग्य है। फिर भी प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किये जाने के दृष्टिकोण से रेस्पोन्डेन्ट की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री मुकेश त्रिवेदी एवं वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः वक्त बहस दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की एवं मुख्य रूप से यह उजर लिया कि अपीलान्टगण अशिक्षित हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय ने त्रुटि पूर्ण निर्णय किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों के विपरीत राजीनामा तस्दीक किया गया है तथा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी त्रुटि पूर्ण निर्णय पारित किया गया है।

→ हमारे द्वारा यह पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय पक्षकारों की सुस्पष्ट सहमति एवं राजीनामे के आधार पर किया है। अब अपीलान्ट/प्रतिवादीगण उनके द्वारा किये गये राजीनामे से पृथक जाकर किसी अन्य आधार उक्त राजीनामे के आधार पर की गयी डिक्री को चुनौती दिये जाने से विबंधित/स्टोब्ड हैं एवं तदनुसार राजीनामें अनुसार जारी डिक्री के विरूद्ध किसी प्रकार की अपील लाई नहीं होती है तथा राजीनामें में सहमति व्यक्त करने के बाद अपीलान्ट द्वारा लिये गये उक्त अपील उजरात अब उनके द्वारा उठाये जाने के लिए पात्र नहीं हैं। तदनुसार यह द्वितीय अपील खारिज योग्य है।

अतएवं द्वितीय अपील संख्या 147/2009 बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 18–01–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:33:50 IST
Reason: SelfAttested

(एल.एन. मंत्री)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

फोटो स्टेट प्रमाणित प्रति
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)